डॉ० (प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक—22.09.2017 (शुक्रवार) को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 41 वीं बैठक की कार्यवाही :—

1. उपस्थिति — बैठक में निम्न सदस्य उपस्थिति थे : —

क्र०सं०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पदनाम	उपस्थिति
1.	डॉ०(प्रो०) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र	सभापति	उपस्थित
2.	श्री अरविन्द झा, उप—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	पदेन—सदस्य	उपस्थित
3.	श्री अखिलेश वाजपेयी, उप—सचिव, वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, रांची।	पदेन—सदस्य	उपस्थित
4.	श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्)	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री विनोद कुमार कर्ण, (से०नि० प्राचार्य) नेतरहाट विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय।	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री विन्ध्याचल पाण्डेय, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय।	सह—सदस्य सचिव	उपस्थित

2. कार्यसूची की मद संख्या—01 : विगत 40वीं बैठक दिनांक—11.08.2017 की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। विगत 11.08.2017 की बैठक के बाद सभापति द्वारा लिए गए निर्णयों को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।

3. कार्यसूची की मद संख्या—02 : विगत 40 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में प्राचार्य, सह—सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा अनुपालन/ कृत कार्रवाई के संदर्भ में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्राचार्य को आवश्यक निर्देश देते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक—02 (04) (ख) : समिति द्वारा नव—नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की NPS व्यवस्था के विचार—विमर्श के क्रम में प्राचार्य द्वारा बताया गया कि तत्संबंधी कार्रवाई विभागीय स्तर से प्रक्रियारत है, जिसे अविलंब विद्यालय को संसूचित कर दिया जाएगा। इस पर सभापति द्वारा प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि तत्काल सभी कर्मियों का अक्टूबर, 2017 के वेतन से नियमानुसार NPS की कटौती कर ली जाय एवं कटौती की गई राशि को प्राचार्य एवं संबंधित कर्मी के एक संयुक्त बैंक खाता में रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह खाता NPS मद के लिये ही निकासी की जा

कृ. कु. नाग
31.10.17

सकती है। साथ ही साथ, सभी कर्मियों को इस आशय की भी सूचना दे दी जाय कि अगर कटौती भूतलक्षी प्रभाव से लागू होती है तो उन्हें संपूर्ण राशि एक साथ जमा करनी होगी, उनके बेहतर भविष्य के लिए नियमानुसार कटौती की राशि के समतुल्य समिति भी अपना अंशदान करेगी।

अनुपालन प्रतिवेदन क्रमांक–02 (11) : प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि श्री ओम प्रकाश तियु, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने दिनांक–09.09.2017 को प्राचार्य कार्यालय को अपना आवेदन दिया है, जिसमें श्री तियु ने यह उल्लेख किया है कि रांची शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में उन्होंने सत्र– 2017–19 में नामांकन करा लिया है। श्री तियु के अभ्यावेदन के आलोक में सभापति द्वारा प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि चूँकि श्री तियु ने आवेदन पत्र में नामांकन लेने संबंधी कोई प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया है; अतएव, श्री तियु को अविलंब सूचित किया जाय कि अपने नामांकन लेने संबंधी प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र विद्यालय कार्यालय को उपलब्ध करा दें, ताकि इस विषय में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इस अवधि में श्री तियु को किसी भी प्रकार का वेतन अनुमान्य नहीं होगा।

4. कार्यसूची की मद संख्या–02 (क) : सभापति द्वारा निर्गत कार्यालय आदेशांक–31, दिनांक–06.09. 2017 के द्वारा श्री अंशुमान चटर्जी को उप–प्राचार्य पद से विरमित करते हुए उन्हें सह–शिक्षक के रूप में योगदान देने संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे। निर्गत आदेश के अनुपालन में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक–09.09.2017 को श्री अंशुमान चटर्जी ने अपने उप–प्राचार्य का विधिवत प्रभार विद्यालय के वरीयतम शिक्षक, श्री राम नरेश सिंह को सौंप दिया है। सभी सदस्यों के सम्यक विचारोपरांत इस कार्रवाई की संपुष्टि की गई।

5. कार्यसूची की मद संख्या–02 (ख) : श्री राम नरेश सिंह, वरीयतम सह–शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय ने दिनांक–09.09.2017 को उप–प्राचार्य पद का पदभार ग्रहण किया। सम्यक विचारोपरांत इस कृत कार्रवाई की संपुष्टि की गई।

6. **कार्यसूची की मद संख्या–02 (ग)** : श्री मारूति प्रताप सिंह, पूर्व आश्रमाध्यक्ष, किशोर आश्रम को प्राचार्य द्वारा विरमित करने के बाद, श्री तारकेश्वर पासवान (जिनकी धर्मपत्नी आश्रम माता के रूप में उपलब्ध रहेंगी) को इस आश्रम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति कर दी गई। इस नियुक्ति को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि श्री मारूति प्रताप सिंह जी को एक साल के लिए आश्रमाध्यक्ष पद का दायित्व न दिया जाय।

7. कार्यसूची की मद संख्या–03 : नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा रिक्त शिक्षकों, चिकित्सा पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति विषयक प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि संचिका के माध्यम से प्राचार्य द्वारा तद्विषयक स्क्रीनिंग समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है। सम्यक विचारोपरांत इस कृत कार्रवाई की संपुष्टि की गई। साथ ही साथ प्राचार्य को यह निदेश हुआ कि चूँकि नामांकन की भी प्रक्रिया साथ–साथ चल रही है। अतएव, नियुक्ति के संदर्भ में प्राथमिकता तय करते हुए पहले चिकित्सा पदाधिकारी, कम्पाउण्डर, नर्स सेविकाओं की नियुक्ति की कार्यवाही सर्वप्रथम करना सुनिश्चित किया जाय। समिति ने इन नियुक्तियों के लिए नोबा सदस्यगण डाक्टर आर. के. झा, डा. पी. के. सिन्हा व डा. ए. डी. शर्मा में से जो उपलब्ध हो पाएं, को इन नियुक्तियों हेतु विशेषज्ञ बनाया।

8. कार्यसूची की मद संख्या–04 : पूर्व कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समिति के पूर्व विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री प्रयाग दूबे से वसूली की जाने वाली कुल राशि रू० 8,62,813.00 की मांग के संदर्भ में सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया। ज्ञातव्य है कि अंकेक्षण के आलोक में

ह॰ कृ॰ नाथ 31.10.17

अधिकाई भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। बैठक में उपस्थित वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि का यह सुझाव हुआ कि चुंकि यह मामला पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा ही उठाया गया है एवं विशेष कार्यपदाधिकारी के पद के संदर्भ में अंकेक्षण की आपत्ति भी हुई है। चूंकि श्री दूबे को पूर्व कार्यकारिणी समिति के आदेश से ही नियुक्ति व उनके द्वारा कार्य सम्पादित करने के पश्चात् भुगतान हुआ है, अतएव समिति का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इस मामले को पूर्ण विवरण के साथ इसके निराकरण हेतु नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय के समक्ष रखकर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लिया जाय।

9. <u>कार्यसूची की मद संख्या–05</u> : प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि द्वितीय आश्रम वर्ग का जीर्णोद्धार का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसे कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार द्वारा दो से तीन दिनों के अंदर विद्यालय प्रशासन को हस्तगत किये जाने की संभावना है। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि नव–निर्मित अन्य आश्रमों की भांति इस आश्रमवर्ग में भी आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराया जाना है। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि विद्यालय क्रय समिति का इस संदर्भ में प्रस्ताव है कि चूँकि पूर्व निविदा की वैधता जीवित है अतएव, पूर्व से ही निगोशियेशन दर पर उपस्करों का क्रय किया जा सकता है। इस पर वित्त विभाग के प्रतिनिधि का यह मंतव्य हुआ कि पुनः निविदा प्रकाशन कर ही सामग्रियों का क्रय किया जाना उचित होगा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा इस मंतव्य पर सहमति दी गई। तदुपरांत, प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि अल्पावधि में लघु निविदा का प्रकाशन शीघ्र कराते हुए आवश्यक उपस्करों का क्रय कर लिया जाय। पाकशाला के गैस चूल्हों के अधिष्ठापन के संदर्भ में सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि चूँकि उक्त कार्य अत्यावश्यक है, अतएव, पूर्व से ही निगोशियेशन दर पर इसका अधिष्ठापन कराया जा सकता है।

10. <u>कार्यसूची की मद संख्या–06</u> : विभाग के 23 सूत्री प्रतिवेदन के उन बिन्दुओं जो मुख्यतः कार्यकारिणी समिति से संबंधित है के क्रम संख्या–09 शिक्षकों को समय–समय पर अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाए के संदर्भ में सभापति द्वारा प्राचार्य को स्पष्ट निर्देश हुआ कि NCERT, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर सभी शिक्षकों को बारी–बारी से प्रशिक्षण दिलाए जाने के संदर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करेंगे। साथ ही साथ क्रम संख्या–02 आश्रमों के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि कम से कम छात्रों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर आवश्यक पहल करें। प्राचार्य द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि वर्तमान में सभी आश्रम समूह में कम से कम एक–एक Heavy Duty का Aquaguard जिसमें कम से कम 70 से 80 लीटर स्टोरेज क्षमता भी हो का अधिष्ठापन कराया जा सकता है। सभी सदस्यों द्वारा प्राचार्य के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। तदुपरांत, प्राचार्य को निर्देश हुआ कि यथाशीघ्र आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसका क्रय कर लिया जाय, साथ ही साथ पेयजल विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी के संदर्भ में यथा–संभव संसाधन : Generator, डीजल एवं आवश्यक आदमी उन्हें उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। प्राचार्य को यह भी निदेश हुआ कि छात्रों के लिए सभी आश्रमों में गीजर की व्यवस्था की जाय ताकि ठंढ के दिनों में छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। 23– सूत्री के शेष बिन्दुओं के संदर्भ में सभापति को अधिकृत किया गया कि अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर अपने स्तर से प्रशासी विभाग को प्रेषित कर देंगे।

11. <u>कार्यसूची की मद संख्या–07</u> : नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा संविदा पर नियुक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान के विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि संविदा पर नियुक्त कर्मियों को वर्तमान में 113% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्राचार्य द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि इन कर्मियों को 132% महंगाई भत्ता (छठे वेतनमान के अनुसार) देने से इनके वेतनादि में आंशिक वृद्धि हो सकेगी। इस पर वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि संप्रति, अन्य विभागों में भी संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 113% ही महंगाई भत्ता अनुमान्य है। अतएव, नये

ह्०: ह्०. नाग
31.10.17

आदेश के निर्गत होने तक इन्हें 113% का ही भुगतान नियमानुकुल होगा; सम्यक विचारोपरांत सभी सदस्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई।

12. **कार्यसूची की मद संख्या–08** : पूर्व कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रशासी विभाग को नेतरहाट विद्यालय समिति के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत संप्रति इसे स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

13. **कार्यसूची की मद संख्या–09** : समिति नियमावली 323, दिनांक–23.10.2009 के पृष्ठ–19 कंडिका 2.9(क)(ii) में कार्यकारिणी समिति को प्रदत्त शक्ति के आलोक में प्राचार्य द्वारा समर्पित पुनर्विनियोग संबंधी प्रस्ताव के क्रम में कार्य आवश्यकता के तहत् पुनर्विनियोग करने की नियमानुसार स्वीकृति दी गई।

14. **कार्यसूची की मद संख्या–10** : योजना सह–वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–11/07(Ve-Aa)–01–2016–17 दिनांक–18.01.2017 के आलोक में समिति द्वारा स्थाई रूप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान का बकाया वेतन नियुमानुसार 50% तक भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।इस संदर्भ में निर्णय हुआ कि NPA में Joint Account में डाल दिया जाय व जो शेष बच जाए तो उन्हें दे दिया जाय।

15. **कार्यसूची की मद संख्या–11** : पूर्व कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति के निर्णय के आलोक में विद्यालय की नयी वेबसाईट www.netarhatvidyalaya.com/final को सभी सदस्यों द्वारा बारी–बारी से देखा गया। तद्नुसार, श्री राकेश माथुर, (एजेंसी के संचालक, जो निमंत्रित होकर विराजमान थे) को कुछेक आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए गए। सभापति सहित अन्य सदस्यों द्वारा श्री माथुर को यह सुझाव दिए गए कि वेबसाईट का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् इसके Launching सभापति को आवश्यक रूप से दिखवा लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह सके। तत्काल पुराने वेबसाईट को ही रखने का निर्णय लिया गया।

16. **कार्यसूची की मद संख्या–12** : विद्यालय की शैक्षणिक प्रगति (10^{th} एवं 12^{th}) के संदर्भ के प्राचार्य द्वारा समर्पित विषयवार प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। तदपरांत, सभी सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राथमिकता तय करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। प्राचार्य को इसके लिए अधिकृत किया गया कि अपने स्तर से अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र करेंगे।

17. **कार्यसूची की मद संख्या–13** : नेतरहाट प्रवेश परीक्षा सत्र 2017–18 के संदर्भ में आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक–23.09.2017 तक है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवश्यक प्रक्रिया अपनाने हेतु प्राचार्य, सह सदस्य–सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को अधिकृत किया गया।

18. **कार्यसूची की मद संख्या–14** : नेतरहाट विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (C.B.S.E) से संबद्धता के संदर्भ में प्राचार्य द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक–18.09.2017 को इस विषयक Power Point Presentation प्रशासी विभाग द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। सभापति ने अलग से भी इस हेतु एक Power Point Presentation बना लिया था, जिसकी एक प्रति नोबा सदस्य श्री जे. बी. तुबिद जी को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दिया गया है। इस पर सभी सदस्यों का यह सम्यक विचार गठित हुआ कि विभागीय स्वीकृत्योपरांत प्राचार्य इस संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र करेंगे।

19. **कार्यसूची की मद संख्या 15 –** : विद्यालय परिसर में 24 घंटे पानी की उपलब्धता के विषय में सभी सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि विद्यालय का हर कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके

ह०/ ह० 31.10.17

लिए पूरे परिसर में 24 घंटे नलों में पानी आते रहना आवश्यक है। पठार पर इतना बड़ा तालाब है, नेतरहाट में बारिश भी बहुत अच्छी होती है, फिर तालाब के पानी को फिल्टर कर विद्यालय की टंकी में चढ़ाए जाने में आखिर कौन सी ऐसी कठिनाई है, जिसके समाधान में दिक्कत है? सभापति ने यह भी उल्लेख किया कि 1954 में जब विद्यालय खुला था तब न एक मिनट के लिए पानी, न बिजली कभी भी जाती थी, जबकि जेनेरेटर की व्यवस्था थी। अभी यदि टंकी छोटी पड़ रही हो तो और भी बड़ी टंकी बनाने का प्रस्ताव लाया जाय। यदि फिल्टर की सामिग्रयों की अनुलब्धता हो तो उन्हें उपलब्ध करने के हर उपाय किए जांये, पाइप को बदलने की अत्यन्त आवश्यकता हो तो वह भी किया जाय और यदि इस हेतु मानव संसाधन की कमी हो तो उसे भी पूरी करने के प्रस्ताव लाए जांए, पर शीघ्रातिशीघ्र यह सुनिश्चित किया जाय कि नलों में पानी रहे तभी आश्रम, प्रयोगशालाएं साफ–सुथरे व सुव्यवस्थित रहेंगी, जो बालकों के साथ–साथ परिसर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक आवश्यक आवश्यकता है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई

कृष्ण कुमार नाग
31. 10. 2017

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।